

# दिविप्रा

## आवास योजना 2021



यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास (शहरी)  
के तहत “क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना” से जुड़ी हुई है  
(दिनांक 02.01.2021 से 16.02.2021)

लगभग 1350 फ्लैट  
जसोला, वसन्त कुंज, द्वारका  
और मंगलापुरी में

मुख्य विशेषताएं / ऑनलाइन योजना

• फ्लैट (लगभग) : 254 एचआईजी | 757 एमआईजी | 52 एलआईजी | 291 ईडब्ल्यूएस



दिल्ली विकास प्राधिकरण

Do you know that...

You can avail subsidy of  
**₹ 2.67 Lac\***  
under  
Pradhan Mantri Awas Yojana!



\*T&C apply



# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सीडी योजना (सीएलएसएस)



### ELIGIBILITY PARAMETERS

#### 1. Annual Household Income and House Carpet Area:

Household means and includes husband, wife and unmarried children.

An adult earning member (Irrespective of its marital status) be considered as separate household.

Category	Annual Household Income (Rs.)	Carpet Area (Sq mt)	Interest Subsidy %
EWS	<= 3 Lac	Upto 30 <sup>#</sup>	6.5%
LIG	>3 & <= 6 Lac	Upto 60 <sup>#</sup>	
<small># beneficiary can construct / purchase bigger house, however, the subsidy would be limited to 30 &amp; 60 sqm only.</small>			
MIG I	>6<=12 Lac	Upto 160	4.0%
MIG II	>12<=18 Lac	Upto 200	3.0%

Subsidy calculated for a maximum period of 20 years

#### 2. First house ownership:

The beneficiary family / household should not own a pucca house (an all whether dwelling unit) either in his/her name or in the name of any member of his/her family in any part of India.

#### 3. Female ownership in property<sup>##</sup>:

Ownership of the house to be purchased should be in the name of female or in joint name with male. Ownership in the name of male member can be accepted in cases of no adult female member in the family, inherited property and where plot is already registered in the name of male member.

<sup>##</sup>Female ownership is desirable in case of MIG I & MIG II category, however not mandatory.

#### 4. Location of property shell fall within 20073 statutory towns as notified from time to time Delhi is a statutory town as per the list

#### 5. Adhaar of all adult household members is mandatory.

### Indicative Illustration:

#### EWS & LIG CATEGORY

(All figures in INR)

Illustration	Loan Amount	Loan Amount eligible for Subsidy	Max. Interest Subsidy for 240 months	Balance Loan	Initial EMI @ 8.5%	Revised EMI after CLSS Credit	Monthly Savings	Annual Savings
I	3,00,000	3,00,000	133,640	1,66,360	2,603	1,444	1,559	13,908
II	6,00,000	6,00,000	267,280	3,32,720	5,207	2,887	2,320	27,840
III	10,00,000	6,00,000	267,280	7,32,720	8,678	6,359	2,319	27,828

#### MIG I

(All figures in INR)

Illustration	Loan Amount	Loan Amount eligible for Subsidy	Max. Interest Subsidy for 240 months	Balance Loan	Initial EMI @ 8.5%	Revised EMI after CLSS Credit	Monthly Savings	Annual Savings
I	6,00,000	6,00,000	1,56,712	4,43,288	5,207	3,847	1,360	16,320
II	9,00,000	9,00,000	2,35,068	6,64,932	7,810	5,770	2,040	24,480
III	12,00,000	9,00,000	2,35,068	9,64,932	10,414	8,374	2,040	24,480

#### MIG II

(All figures in INR)

Illustration	Loan Amount	Loan Amount eligible for Subsidy	Max. Interest Subsidy for 240 months	Balance Loan	Initial EMI @ 8.5%	Revised EMI after CLSS Credit	Monthly Savings	Annual Savings
I	9,00,000	9,00,000	1,72,617	7,27,383	7,801	6,312	1,489	17,868
II	12,00,000	12,00,000	2,30,156	9,69,844	10,414	8,417	1,997	23,964
III	15,00,000	12,00,000	2,30,156	12,69,844	13,017	11,020	1,997	23,964

All figures above are indicative and may vary from case to case basis.  
Avail benefits of the scheme now

T&C Apply



1. योजना:

दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस योजना का नाम "आवासीय योजना-2021" है। यह योजना नव-निर्मित फ्लैटों के विक्रय के लिए है।

2. पात्रता:

- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक का वयस्क होना अनिवार्य है अर्थात् आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- प्राधिकरण की आवासीय संपदा में आवासीय इकाई अथवा फ्लैट केवल ऐसे व्यक्ति को आर्बिट्रिट किया जाएगा, जो स्वयं अथवा उसकी पत्नी अथवा पति अथवा उसके अविवाहित बच्चों सहित कोई भी आश्रित संबंधी पूर्णतरु या आंशिक रूप से फ्री-होल्ड अथवा लीज होल्ड आधार पर दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली छावनी के शहरी क्षेत्र में 67 वर्ग मी. से अधिक के क्षेत्रफल वाले रिहायशी प्लॉट अथवा 67 वर्ग मी. से अधिक के कारपेट क्षेत्र वाले फ्लैट/निर्मित आवास का स्वामी न हो।
- पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर पति और पत्नी दोनों अलग-अलग इस शर्त पर फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं कि दोनों के सफल होने पर केवल एक को फ्लैट आर्बिट्रिट किया जाएगा और 'आवेदन राशि' की पूरी राशि पैरा 3(v) के अनुसार दूसरे दंपति (पति या पत्नी) को वापस कर दी जाएगी।
- एक व्यक्ति या तो अपने नाम से या संयुक्त आवेदक के रूप में केवल एक आवेदन-पत्र जमा कर सकता है।
- ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की आय 3 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए और उनकी पारिवारिक आय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ई.डब्ल्यू.एस. के अलावा अन्य श्रेणियों हेतु आय का कोई मानदंड नहीं है। आवेदक अपनी आवश्यकता एवं वहन क्षमता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

इस खण्ड हेतु पारिवारिक आय निम्नानुसार परिभाषित की गई है:

उस स्थिति में जब	पारिवारिक आय में निम्नलिखित शामिल होंगे
क. आवेदक जिसकी आय 25 वर्ष से अधिक हो	परिवार में आवेदक, उसका जीवनसाथी, अविवाहित पुत्र/पुत्री जिसकी आय 25 वर्ष से कम हो शामिल होंगे।
ख. आवेदक जिसकी आय 25 वर्ष से कम हो	परिवार में आवेदक, उसका जीवनसाथी, बच्चे तथा उनके माता-पिता शामिल होंगे।

- आवेदक को किसी भी बैंक के अपने बचत खाते का विवरण देना होगा और खाते का विवरण 'आवेदन-पत्र' में अवश्य दिया जाना चाहिए।
- आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आर्बिट्रिट स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए और आवेदन पत्र में उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त आवेदक मामले में संयुक्त आवेदक निम्न उपखंड (xi) में यथा परिभाषित परिवार का सदस्य होना चाहिए।
- युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त आवेदन-पत्रों के मामले में आवेदक को स्वयं आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत होना चाहिए और संयुक्त आवेदक उक्त उपखंड (xi) में यथा परिभाषित परिवार का सदस्य होना चाहिए।
- उक्त खंड (ix) और (x) में परिवार से अभिप्राय किसी व्यक्ति अथवा उसके पिता अथवा उसकी माता अथवा रक्त संबंधी परिवार जन अथवा उसकी पत्नी अथवा उसके पति और अविवाहित बच्चों सहित उसके किसी भी आश्रित संबंधी से है।

3. आवेदन कैसे करें-

- आवेदक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को एंड-टू-एंड ऑनलाइन अनुभव प्रदान करने हेतु, इस योजना को दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित न्यू आवास एप्लिकेशन पर शुरू किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आवेदक दि.वि.प्रा. की वेबसाइट [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) देखें।
- इस योजना के अंतर्गत फ्लैट के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को 'आवेदन राशि' नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जमा करनी होगी:-
  - ईडब्ल्यूएस - 25,000/- रुपये
  - एलआईजी - 1,00,000/- रुपये
  - एमआईजी - 2,00,000/- रुपये
  - एचआईजी - 2,00,000/- रुपये
 तथापि, यदि आवेदक एक से अधिक श्रेणी हेतु वरीयता दे रहा हो, तो उसे उच्चतम श्रेणी की आवेदन राशि जमा करानी होगी।
- एक बार जमा किया गया आवेदन-पत्र वापस नहीं लिया जा सकेगा।
- आवेदन की प्रक्रिया, मांग पत्र, कब्जा पत्र, जारी करने हस्तांतरण विलेख, इत्यादि और दस्तावेजों को अपलोड करने की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ही होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को अपने पास सुरक्षित रखें और इस जानकारी को किसी के साथ साझा न करें। दिल्ली विकास प्राधिकरण लॉगिन क्रेडेंशियल के किसी भी प्रकार के अनधिकृत उपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अद्यतन जानकारी के लिए पोर्टल को नियमित रूप से देखने की पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- सफल आवेदकों को आवेदन राशि वापस करना: आवेदक फ्लैट के आर्बिटन हेतु आवेदन करने से पूर्व स्थान, लागत, आस-पास के क्षेत्र में विद्यमान सुविधाओं और अन्य संबंधित/मामलों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लें। निम्नानुसार यथा निर्धारित सरेंडर/रद्दकरण प्रभार वसूल किये जाएंगे:-

क्रम सं.	अवधि	सरेंडर/रद्दकरणप्रभार
1.	ड्रॉ की तिथि से मांग एवं आर्बिटन-पत्र जारी किए जाने की तिथि से 15 दिन तक	शून्य
2.	मांग एवं आर्बिटन पत्र जारी किए जाने की तिथि के 16वें दिन से 30 दिन तक	आवेदन राशि का 10%
3.	मांग एवं आर्बिटन-पत्र के जारी किए जाने की तिथि के 31वें दिन से 90 दिन तक	आवेदन राशि का 50%
4.	मांग एवं आर्बिटन पत्र जारी किए जाने की तिथि से 90 दिन के बाद	पूरी आवेदन राशि

vi. असफल आवेदकों को धनराशि की वापसी

धनराशि की वापसी के उद्देश्य हेतु, आवेदक को आवेदन पत्र में अपने बचत बैंक खाते और आईएफएससी कोड का स्पष्ट विवरण देना होगा। आवेदन धनराशि की वापसी केवल ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। संयुक्त नाम वाले आवेदन पत्र के मामले में, धनराशि की वापसी केवल प्रथम आवेदक के नाम से ही जारी की जाएगी, इसलिए प्रथम आवेदक का बैंक खाता विवरण दिया जाना आवश्यक है। बैंक खाता विवरण एन.आर.ई. खाता अथवा चालू खाता नहीं होना चाहिए।



**टिप्पणी:**

उस स्थिति में भी यदि आवेदक द्वारा आवेदन धनराशि का भुगतान किसी फर्म/ कंपनी इत्यादी के खाते से किया गया हो, तो भी धनराशि की वापसी के लिए, आवेदक को अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा। **खाता संख्या, आईएफएससी कोड, प्राप्तकर्ता का नाम, के मिलान न होने की स्थिति में,** बैंक ऑनलाइन माध्यम द्वारा धनराशि की वापसी करने की स्थिति में नहीं होगा। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए, आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन पत्र जमा करने से पहले बैंक विवरण की अच्छी प्रकार जांच कर लें।

vii. आवेदक अपनी रूचि के अनुसार एक या अधिक वरीयता अनुलग्नक 'क' में दिए गए स्थान के कोड को लिखकर दे सकता है। स्थान के लिए कम से कम एक वरीयता देना अनिवार्य है। **यह मान लिया जाएगा कि वरीयता देने से पहले आवेदक ने उस स्थान को देख लिया है।** आवेदक द्वारा सेक्टर/पॉकेट/तल के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। स्थान, सेक्टर, पॉकेट अथवा तल को बदलने के लिए दिए गए किसी अनुरोध पर दि.वि.प्रा. द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

viii. **चूंकि आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन पद्धति द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे, सशर्त आवेदन दृपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

**4. आरक्षण:**

इस योजना के अंतर्गत आरक्षण के विवरण निम्नानुसार है:-

- 15 प्रतिशत प्लैट अनुसूचित जाति के आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे।
- 7.5 प्रतिशत प्लैट अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे।

**टिप्पणी:**

यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आवेदकों से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, तो शेष प्लैटों का निपटान अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदकों के पक्ष में कर दिया जाएगा और ऐसी ही व्यवस्था ठीक इसके विपरीत अनुसूचित जाति के मामले में भी की जाएगी।

- 1 प्रतिशत प्लैट युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और सशस्त्र/अर्धसैनिक सेवाओं से उदारीकृत पेंशन प्राप्तकर्ताओं (निकटतम परिजन) के लिए आरक्षित होंगे।
- दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-37(क) में यथा परिभाषित दिव्यांग जन हेतु 5% आरक्षण।
- 1 प्रतिशत प्लैट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगे।

**टिप्पणी:**

- उक्त आरक्षण केवल किसी क्षेत्र में उपलब्ध प्लैटों की संख्या के संदर्भ में ही स्वीकार्य है।
- यदि आरक्षित श्रेणी के संबंध में प्लैटों की संख्या फ्रैक्शन में अर्थात् 0.5 से कम आती है तो पूर्णांक में बदलकर शून्य और यदि 0.5 या इससे अधिक आती है तो पूर्णांक में बदलकर एक कर दिया जाएगा।
- यदि उपर्युक्त पांच श्रेणियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, तो शेष सभी प्लैट सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को आबंटित कर दिए जाएंगे।

5. आवेदन-पत्र जमा करते समय कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल सफल आवेदकों को निर्धारित समर्थक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी।

6. प्लैटों के ड्रॉ के पश्चात् जमा किए जाने वाले दस्तावेज:

**क. सभी श्रेणियों के लिए:-**

- आयकर विभाग द्वारा जारी/आबंटित पैन कार्ड (स्थायी खाता संख्या) की स्वप्रमाणित प्रति। सफल आबंटितियों के संबंध में कब्जा-पत्र जारी करने से पहले पैन कार्ड के विवरणों को सत्यापित किया जाएगा।

ii. पहचान संबंधी प्रमाण जैसे पासपोर्ट, सरकारी पहचान-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो सहित राशन कार्ड (जिस व्यक्ति की फोटो लगी हो) अथवा आधार कार्ड की स्व-अनुप्रमाणित प्रति **(कोई एक अपलोड करें)**।

iii. निवास का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गृहकर की रसीद, बैंक पास बुक, (जिस पृष्ठ पर नाम और पता हो), अथवा आधार कार्ड की स्वअनुप्रमाणित प्रति **(कोई एक अपलोड करें)**।

iv. ई-डब्ल्यू.एस. श्रेणी हेतु आय का प्रमाण जो, संबंधित एस.डी.एम. तहसीलदार कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो।

**ख. आरक्षित श्रेणी के लिए:-**

उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त, किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

i. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणियों से सम्बन्ध रखता हो, तो उसे संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

ii. यदि आवेदक विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगन) की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करता है, तो उसे सरकारी अस्पताल या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अभिभावकता प्रमाण-पत्र, जहां भी लागू हो, की एक स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

iii. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

iv. यदि आवेदक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/नजदीकी परिजन, जिसमें उदारीकृत पेंशन प्राप्त करने वाले भी शामिल हैं, की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो उसे रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिकबलों द्वारा जारी किए गए "अपेक्षित प्रमाण-पत्र" की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

**ग. प्लैट का कब्जा दिए जाने के पूर्व**

**आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:**

- उस बैंक खाते की पास बुक/बैंक विवरण की स्वप्रमाणित प्रति, जिससे प्लैट की कीमत जमा की गई है, भुगतान के प्रमाण सहित।
- अनुलग्नक 'ग' और 'घ'** में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार शपथ-पत्र।
- अनुलग्नक 'ङ'** में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार वचन बंध-पत्र।
- आवेदक की अपनी तथा अपने पति/पत्नी, यदि विवाहित हो, की फोटो और तीन हस्ताक्षर, जो **अनुलग्नक 'च'** में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार विधिवत अनुप्रमाणित हो।

**7. आबंटन का तरीका:**

सभी पात्र आवेदकों के मामले पर रैंडम नम्बर टैकनीक के आधार पर कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से आबंटन हेतु विचार किया जाएगा। ड्रॉ स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। आवासीय योजना-2021 का ड्रॉ वेब-स्ट्रीमड होगा।

**8. आबंटन का परिणाम:-**

- ड्रॉ का परिणाम दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) पर प्रदर्शित किया जाएगा और विकास सदन, डी-ब्लॉक, आई.एन.ए. नई दिल्ली-110023 स्थित दि.वि.प्रा. के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया



जाएगा। इसके अतिरिक्त ड्रॉ का परिणाम प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

- ii. ड्रॉ के परिणाम का पता लगाने की एकमात्र जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- iii. कुल फ्लैटों के 25 प्रतिशत के बराबर आवेदकों की एक पृथक प्रतीक्षा सूची प्राथमिकता के आधार पर घोषित की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची सफल आवेदकों को जारी किए गए मांग-पत्रों की तिथि से केवल 10 माह तक वैध होगी। प्रतीक्षा-सूची वाले आवेदकों की आवेदन राशि को असफल आवेदकों की राशि के साथ वापिस किया जाएगा। तथापि, यदि वापिस लिए गए/रद्द किए गए फ्लैटों के आवंटन के लिए ड्रॉ किया जाता है, तो ड्रॉ निकालने से पहले सभी पात्र प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों को आवेदन राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। उन्हें इसके लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा तथा जिन आवेदकों ने निर्धारित तारीख से पहले आवेदन राशि जमा कर दी है केवल उनका नाम शामिल किया जाएगा।

#### 9. फ्लैटों की निपटान कीमत :-

फ्लैट की अनंतिमनिपटान कीमत **अनुलग्नक "क"** में दी गई है। इसकीमत में बसंतकुंज के एच आई जी फ्लैटों के संबंध में "भूमि प्रीमियम और निर्माण लागत" पर 20 प्रतिशत सरचार्ज और जसौला में एच आई जी फ्लैटों के लिए तथा द्वारका में एम आई जी फ्लैटों के लिए 10: सरचार्ज शामिल है। निर्माण की लागत में, ग्रीड प्रभार, विभागीय प्रभार तथा निर्माण अवधि के दौरान ब्याज शामिल है। फ्लैटों की निपटान कीमत का आकलन फ्लैटों के कॉमन एरिया सहित उनके कुरसी क्षेत्रफल के अनुसार की जाती है। निपटान कीमत में अनुरक्षण प्रभार (सिविल और विद्युत प्रभार और उन पर कर) शामिल होते हैं। श्रेणी के भीतर कीमत में भिन्नता फ्लैटों के कॉमन एरिया सहित कुर्सी क्षेत्रफल (प्लिंथ एरिया) में भिन्नता के कारण है।

#### 10. भुगतान की अवधि:-

- i. फ्लैट की लागत मांग एवं आबंटन-पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिन के अंदर जमा करनी होगी। मांग एवं आबंटन पत्र ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। मांग एवं आबंटन पत्र सभी प्रकार की क्लियरेंस पूरी होने के बाद फ्लैट के कब्जा देने की संभावित तारीख से 3 महीने से पूर्व जारी किया जाएगा।
- ii. उपर्युक्त (प) के अतिरिक्त आबंटितियों को 10% वार्षिक (साधारण ब्याज) की दर पर ब्याज के भुगतान की शर्त के अधीन 3 माह का अतिरिक्त समय भी मिलेगा।
- iii. यदि मांग-पत्र में निर्धारित समय के अंदर मांगी गई राशि का भुगतान आबंटिती द्वारा नहीं किया जाता है, तो आवेदन राशि जब्त कर ली जाएगी और फ्लैट अन्य व्यक्तियों को आबंटन हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा।

#### 11. मांगी गई राशि के भुगतान का तरीका :-

आवेदन राशि का भुगतान किसी भी खाते से किया जा सकता है। तथापि, ऑनलाइन मांग एवं आबंटन-पत्र जारी होने के पश्चात् मांगी गई राशि आबंटिती के खाते अथवा निर्दिष्ट/परिवार के सदस्यों के खाते से एन.ई. एफ.टी./आर.टी.जी.एस. /नेट-बैंकिंग के माध्यम से जमा की जानी चाहिए। किसी भी मोड के माध्यम से किए गए भुगतान पर दि.वि.प्रा. द्वारा कोई सेवा प्रभार वहन नहीं किया जाएगा।

इस पैरा के प्रयोजन के लिए परिभाषित विनिर्दिष्ट संबंधियों में आबंटिती का पति/पत्नी, पिता, माता, बहन, भाई, पुत्र, पुत्री, पोता/पोती, पुत्र वधू (बहू)/पोते की पत्नी, पुत्री/पोती का पति शामिल हैं। (इस परिभाषा के परियोजन के लिए पोता या पोती का आशय पुत्र की संतान, पुत्री की संतान से है।)

#### 12. भुगतान का तरीका

फ्लैटों का आबंटन निशक्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) की श्रेणी को छोड़कर नकद आधार पर किया जाएगा। यथा लागू निबंधन एवं शर्तों के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति के पास विकल्प होगा कि वे अपना भुगतान "नकद आधार" पर या फिर किशतों में कर सकते हैं।

#### 13. बंधक रखना/ऋण लेने की सुविधा का लाभ लेना:-

आबंटिती दिल्ली विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लिए बिना फ्लैट को निम्नलिखित संस्थाओं के पास बंधक रखकर आवास ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकता है। हालांकि, जिस संस्था के पास फ्लैट बंधक रखा गया है, उसके संबंध में सूचना संबंधित उप निदेशक (आवास), दि.वि.प्रा., विकास सदन, नई दिल्ली को अवश्य भेजा जानी चाहिए:-

- (i) भारत सरकार, (ii) राज्य सरकार, (iii) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, (iv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय, (v) राष्ट्रीयकृत बैंक, (vi) भारतीय जीवन बीमा निगम, (vii) भारतीय साधारण बीमा निगम, (viii) आवास विकास वित्त निगम, (ix) सहकारी बैंक, (x) दिल्ली नगर निगम, (xi) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, (xii) संयुक्त क्षेत्र की सभी कंपनियों भले ही शेयर धारिता की प्रतिशतता कितनी भी हो, (xiii) दिल्ली विश्वविद्यालय, (xiv) सभी निजी अथवा सार्वजनिक संगठन, जिन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा सामान्य बंधक रखने हेतु अनुमोदन प्राप्त हो एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त हो; (xv) भवन निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण देने वाली समस्त वित्तीय संस्थाएं, यदि वे पांच करोड़ रुपये अथवा समान पूंजीगत आधार सहित अच्छी बाजार साख और प्रतिष्ठा वाली प्रमुख कम्पनियां हों, (xvi) समस्त वित्तीय संस्थाएं/ बैंक, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता हो, भले ही सरकार की अंशधारिता की प्रतिशतता कितनी भी हो, (xvii) समस्त सार्वजनिक कम्पनियां जिनका पूंजीगत आधार पांच करोड़ रुपये हो, बशर्ते कि उनके यहां अपने कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम/ऋण प्रदान करने की योजना हो और ऐसी अग्रिम राशि प्रदान करने के लिए बंधक रखना अपेक्षित हो।

#### 14. दुरुपयोग, परिवर्धन और परिवर्तन आदि:-

फ्लैट का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। आबंटिती आवासीय इकाई को उप-विभाजित करने अथवा इस इकाई को किसी अन्य आवासीय इकाई के साथ मिलाने अथवा फ्लैट के ढांचे में कोई परिवर्धन/परिवर्तन करने का हकदार नहीं होगा।

#### 15. सामान्य क्षेत्रों (कॉमन एरिया) और सामान्य सेवाओं आदि के रखरखाव का उत्तरदायित्व:-

प्रत्येक सफल आवेदक को फ्लैट का कब्जा सौंपे जाने से पहले इन आवासीय पॉकेटों के लिए सामान्य क्षेत्रों और सामान्य सेवाओं के रखरखाव के उद्देश्य के लिए इस संबंध में बने नियमों अर्थात् दि.वि.प्रा. आवासीय संपदा का प्रबंधन एवं निपटान विनियम, 1968 के प्रावधान के अनुसार गठित अपार्टमेंट स्वामियों की पंजीकृत एजेंसी/एसोसिएशन का सदस्य बनना अपेक्षित होगा। एक पॉकेट के लिए केवल एक आर.डब्ल्यू.ए. पंजीकृत होगी। प्रत्येक पॉकेट के सभी आबंटितियों को संबंधित आर.डब्ल्यू.ए. का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

मुख्य (बड़े प्रकृति वाले) रखरखाव के उद्देश्य हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए रख-रखाव निधि के संबंध में अंशदान आबंटितियों से वसूल किया जाएगा। स्कीम में यह अपेक्षित है कि एकत्र किया गया संपूर्ण रख-रखाव फंड एस्करो खाते के रूप में निधि (कोर्पस) में रखा जाएगा और रख-रखाव कार्य (बड़े प्रकृति वाले) निधि से अर्जित ब्याज से शुरू किया जाएगा। फंड को दि.वि.प्रा. में पंजीकृत आर.डब्ल्यू.ए. में बांटा जाएगा तथा जिसका प्रबंध एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें संबंधित जोन के अधिशासी अभियंता द्वारा दि.वि.प्रा. का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। सभी नव निर्मित फ्लैटों के सिविल एवं विद्युतीय रख-रखाव को रख-रखाव के लिए बनाई गई समग्र निधि के ब्याज से पूरा किया जाएगा। यदि कोई कमी होती है तो उसे दि.वि.प्रा. में पंजीकृत संबंधित आर.डब्ल्यू.ए. आबंटितियों से अंशदान लेकर दूर करेगा और दि.वि.प्रा. रख-रखाव के लिए कोई फंड नहीं देगा। यह फंड प्रथम मांग-एवं-आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से प्रचालित होगा।



**रख-रखाव के लिए सामान्य सिद्धांत निम्न प्रकार होंगे:**

- क. पृथक फ्लैट के स्वामी कब्जा लेने के बाद अपने फ्लैटों के सभी आंतरिक रख-रखाव के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे।
- ख. बड़ी मरम्मत, जिसमें बाहरी क्षेत्रों की वाइट-वॉश शामिल है, फंड की उपलब्धता की शर्त के अधीन आवश्यकता के आधार पर की जाएगी। उन स्कीमों में, जहाँ रख-रखाव जमा राशि दि.वि.प्रा. द्वारा ली गई है, वहाँ बड़ी मरम्मत का कार्य स्कीम में यथा व्यवस्थित ब्याज से उपलब्ध राशि से की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए नामित दि.वि.प्रा. का लिंक अधिकारी रख-रखाव फंड बनाने के लिए आर.डब्ल्यू.ए. के साथ समन्वय करेगा।
- ग. दैनिक रख-रखाव कार्य, जिसमें हरित क्षेत्रों का रख-रखाव, कैम्पस/ कॉलोनी/ हाउसिंग पॉकेट की सफाई, कॉमन एरिया में लाइट फिटिंग्स को बदलना, लिफ्टों का रख-रखाव और प्रचालन, कॉमन एरिया के लिए बिजली के बिल का भुगतान शामिल है, की जिम्मेदारी संबंधित आर.डब्ल्यू.ए. की होगी।
- घ. ऐसे कॉमन एरिया, जो कई हाउसिंग पॉकेटों/ कॉलोनियों के लिए कॉमन हैं, के रख-रखाव की जिम्मेदारी शहरी निकाय को क्षेत्र सुपुर्द करने के बाद शहरी निकाय की होगी और जब तक वह क्षेत्र शहरी निकाय को सौंपा नहीं जाता, तब तक रख-रखाव दि.वि.प्रा. के पास रहेगा। क्षेत्र सौंपते समय, दि. वि.प्रा. शहरी निकाय द्वारा रख-रखाव किए जाने वाले क्षेत्र और आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा रख-रखाव किए जाने वाले क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिह्नित करेगा।
- ङ. ऐसी सुविधाएं जो एक से अधिक आर.डब्ल्यू.ए. के लिए कॉमन हैं, जैसे सामुदायिक केंद्र, जिम आदि का रख-रखाव दि.वि.प्रा. द्वारा किया जाएगा।
- च. आर.डब्ल्यू.ए. को ऊपर (3) पर वर्णित प्रतिदिन के रख-रखाव के लिए पृथक फंड रखेगा। अतः, रख-रखाव का कार्य दो पृथक श्रेणियों अर्थात्, मुख्य (बड़ी प्रकृति वाले) रख-रखाव और दैनिक रख-रखाव के रूप में किया जाएगा।

**16. मिथ्या कथन अथवा तथ्यों को छिपाना:-**

यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि आवेदक ने फ्लैट के लिए आवेदन किया है, जबकि खण्ड 2 में दी गई शर्तों के अनुसार वे आवेदन करने के पात्र नहीं थे, तो आवेदन-पत्र/आबंटन बिना कोई नोटिस जारी किए तुरंत अस्वीकार/रद्द कर दिया जाएगा और आबंटिती द्वारा जमा करायाई गई राशि जब्त कर ली जाएगी।

**17. फ्लैटों का कब्जा:-**

- i. आबंटिती कब्जा लेने का हकदार केवल तभी होगा, जब उसने मांग एवं आबंटनपत्र के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हों, सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया हो तथा अपेक्षित सभी दस्तावेज प्रस्तुत/निष्पादित कर दिये हों।  
डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कब्जा-पत्र केवल ऑनलाइन जारी किया जाएगा और आबंटिती को अपेक्षित दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियाँ अपलोड करनी होंगी।
- ii. कब्जा पत्र जारी होने के बाद, आबंटिती ऑनलाइन मोड के माध्यम से वास्तविक कब्जे की तिथि नियत कर सकता है। यदि आबंटिती कब्जा-पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर फ्लैट का कब्जा नहीं लेता है, तो उसे कब्जापत्र जारी होने की तिथि से तीन माह के बाद कब्जा पत्र जारी करने की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित दर पर निगरानी एवं देखभाल प्रभागों का भुगतान करना होगा।
- iii. यदि इसके बाद भी वास्तविक कब्जा नहीं लिया जाता है, तो आवंटन स्वरूप रद्द हो जाएगा। रद्दकरण से पहले कोई कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा जाएगा। रद्दकरण के ऐसे मामले में आवेदन राशि की कटौती करने के बाद फ्लैट की लागत के प्रति जमा की गई कोई राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- iv. संपत्ति 'जहां है जैसा है आधार' पर दी जा रही है। दिल्ली विकास

प्राधिकरण किसी भी प्रकार के परिवर्धन या परिवर्तन के लिए अनुरोध अथवा संपत्ति की परिस्थितियों के संबंध में दि.वि.प्रा. (आवासीय संपदा का प्रबंधन एवं निपटान) विनियम, 1968 के विनियम 19 में यथा परिभाषित संपत्ति परिस्थितियों के अनुसार किसी तरह की शिकायत, चाहे जो भी हो, को स्वीकार नहीं करेगा। दि.वि.प्रा. फ्लैट की लागत, उसके डिजाइन, प्रयोग में लाई गई सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी या अन्य किसी दोष से संबंधित शिकायत पर भी विचार नहीं करेगा।

- v. यदि आबंटिती ने पूरी लागत जमा कर दी है और पूरी लागत के भुगतान की तिथि से 3 माह के अंदर अपेक्षित सभी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, तो भुगतान की तिथि से 3 माह के बाद से लेकर पूर्ण दस्तावेज जमा किए जाने तक निगरानी एवं देखभाल प्रभाग वसूल किए जाएंगे। तथापि, यदि पूरी लागत जमा करने की तिथि से एक वर्ष के अंदर दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं तो आबंटन स्वतः रद्द हो जाएगा। फ्लैट की लागत के लिए जमा राशि को आवेदन राशि की कटौती करने के बाद बिना ब्याज के वापस किया जाएगा।

**18. हस्तांतरण विलेख:-**

- i. फ्लैट का वास्तविक कब्जा सौंप दिए जाने के बाद दि.वि.प्रा. द्वारा हस्तांतरण विलेख (फ्री होल्ड विलेख) के कागजात ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। आबंटिती हस्तांतरण विलेख के निष्पादन हेतु ऑनलाइन तिथि नियत कर सकता है। इस संबंध में ई-स्टाम्पिंग के खर्च और हस्तांतरण विलेख आदि के पंजीकरण के संबंध में आने वाले अन्य खर्च को आबंटिती द्वारा वहन किया जाएगा।
- ii. आबंटिती हस्तांतरण विलेख के निष्पादन से पहले फ्लैट के अंतरण अथवा उसके पूरे या किसी भाग का कब्जा देने का हकदार नहीं होगा। हस्तांतरण विलेख का निष्पादन और पंजीकरण किए बिना फ्लैट की बिक्री/अंतरण किए जाने के मामले में ऐसी बिक्री/अंतरण को प्राधिकरण मान्यता नहीं देगा और ऐसे फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा उसका कब्जा वापस ले लिया जाएगा।
- iii. फ्लैट के वास्तविक कब्जे के बाद फ्लैट के स्वामित्व को अंतरित करने के लिए निर्धारित प्रोफॉर्म में हस्तांतरण विलेख मूल आबंटिती के पक्ष में निष्पादित किया जाएगा, जो सभी अन्य देय राशि प्राप्त होने पर नियम के अनुसार उप रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत कराया जाएगा, बशर्ते कि मूल आबंटिती ने किसी करार द्वारा, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो, फ्लैट के पूरे अथवा किसी भाग को किसी तरीके से बेचा, अंतरित अथवा हस्तांतरित न किया हो और/अथवा उसका कब्जा न दिया हो।  
हस्तांतरण विलेख के निष्पादन की तिथि आवेदक द्वारा केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से नियत की जाएगी। आवेदकों से अपेक्षित है कि वे हस्तांतरण विलेख के निष्पादन की तिथि नियत करने से पहले अपेक्षित मूल्य के ई-स्टाम्प पेपर की प्रति अपलोड करें। नियत तिथि को आवेदक को सत्यापन के उद्देश्य से सभी मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे।
- iv. हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के पूर्व मूल आबंटिती की मृत्यु होने की स्थिति में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन मूल आबंटिती के कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) के पक्ष में दि.वि.प्रा. की नामांतरण संबंधी नीति/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- v. चूंकि फ्लैट की लागत की गणना करते समय ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अंतर्गत कई रियायत दी जा रही हैं, इसलिए ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के आबंटिती को मांग एवं आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से पाँच (5) वर्ष की अवधि के लिए फ्लैट की बिक्री/हस्तांतरण अथवा किसी भी तरीके से अन्यथा रूप में फ्लैट का कब्जा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।



19. आबंटिती की स्थिति:-

सभी आबंटन फ्री होल्ड आधार पर किए जाएंगे। यद्यपि संपत्ति के अधिकार (टाइटल) का अंतरण तभी किया जाएगा, जब आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित कर दिया गया जाएगा, और उप-पंजीयक कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, में इसका पंजीकरण कर दिया जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए हस्तांतरण विलेख का निष्पादन लॉक-इन पीरियड के आलोक में धारा 22(v) एवं 18(v) के अनुसार क्रमशः 15 एवं 5 वर्ष के पश्चात् किया जाएगा।

क्रम सं.	फ्लैट का प्रकार एवं स्थान	डिवीजनल अधिशासी अभियंता का नाम	डिवीजन	संपर्क संख्या	पता
1.	एचआईजी / जसोला	श्री यू.के. त्यागी	ई.एम.डी-7	7011157572 eesed1dda@gmail.com umesh.tyagi22@dda.gov.in	अधिशासी अभियंता कार्यालय, ईएमडी-7, डीडीए, सरिता विहार
2.	एमआईजी / द्वारका सेक्टर 19बी	श्री अमित सिंह	डीपीडी-4	8860894225 exenrwd10@gmail.com amit.singh6089@dda.gov.in	डीडीए ऑफिस कॉम्प्लेक्स कमरा संख्या 30, सेन्ट्रल नर्सरी, सेक्टर-5, द्वारका
3.	एमआईजी / द्वारका सेक्टर 16बी	श्री एच एस रावत	डीपीडी-3	011-20892314 wd8dda@gmail.com hira.rawat888@dda.gov.in	डीडीए ऑफिस कॉम्प्लेक्स, कमरा संख्या 31, सेन्ट्रल नर्सरी सेक्टर-5, द्वारका
4.	ईडब्ल्यूएस / मंगलापुरी	श्री महेश चंद	DPD-2	9868211866 mahesh.chand40@dda.gov.in eewd6dda@gmail.com	अधिशासी अभियंता कार्यालय, डीपीडी-2, डीडीए, मंगलापुरी

iii. सैंपल फ्लैट निम्नलिखित स्थानों पर अवस्थित हैं एवं जनता के निरीक्षण के लिए प्रातरु 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक सभी सात दिन उपलब्ध है। इस दौरान निरीक्षण में सहायता प्रदान करने के लिए एक व्यक्ति साइट पर उपस्थित रहेगा।

क्रम संख्या	स्थान	सैंपल फ्लैट का पता
1	जसोला पॉकेट 9बी (एचआईजी)	फ्लैट संख्या 2013 टॉवर संख्या 2, पॉकेट-9बी, जसोला
2	द्वारका पॉकेट 3, सेक्टर 19बी, द्वारका (एमआईजी)	फ्लैट संख्या 248, पॉकेट 3 के समीपवर्ती, सेक्टर 19 बी, द्वारका फेज II
3	द्वारका पॉकेट 2, सेक्टर 16बी, (एचआईजी)	फ्लैट संख्या 07, पॉकेट 2 सेक्टर, 16बी (मेट्रो स्टेशन सेक्टर 14 द्वारका के पास), द्वारका फेज II
4	मंगलापुरी (ईडब्ल्यूएस)	फ्लैट संख्या 101, प्रथम तल साइट संख्या iv, डीडीए प्रोजेक्ट ऑफिस के पीछे मंगलापुरी, द्वारका, नई दिल्ली 110045

- iv. आम जनता की (सुविधा के लिए योजना के आरंभ होने की तिथि से नागरिक सुविधा केन्द्र, विकास सदन में एक समर्पित सहायता केंद्र के साथ समर्पित कॉल सेंटर की शुरुआत भी की जाएगी।
- v. आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में सहायता करने के लिए पैनलबद्ध बैंकों द्वारा चयनित शाखाओं पर हेल्प डेस्क संचालित किए जाएंगे (पैनलबद्ध बैंकों के विवरण के लिए अनुलग्नक 'ख' देखें)

21. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत लाभरू-

प्रधानमंत्री आवास योजना - सभी के लिए आवास (शहरी) के अंतर्गत पात्र आबंटिती क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी

20. फ्लैट का निरीक्षण:-

- i. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आबंटन के लिए आवेदन करने से पूर्व स्थान, आकार एवं लागत के संबंध में साइट पर जाएं और फ्लैटों का निरीक्षण कर स्वयं को संतुष्ट कर लें।
- ii. सैंपल फ्लैट देखने एवं निरीक्षण में सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित डिवीजन अधिशासी अभियंताओं के संपर्क नंबर एवं पते निम्नानुसार हैं :

के दिशा-निर्देशों में यथा पारिभाषित लाभार्थी परिवार के पास स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी भाग में पक्का घर नहीं होना चाहिए। आवेदन अधिमानतः परिवार की महिला मुखिया के नाम पर अथवा परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास-योजना सभी के लिए आवास (शहरी) का विवरण इस विवरणिका के पृष्ठ नं. 2 और 3 के साथ-साथ दिविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

22. अधिमन्य (तरजीही) आबंटन:-

- i. दिव्यांग व्यक्तियों को 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जैसा कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 37 (क) में यथा परिभाषित है।
- ii. दिव्यांग व्यक्तियों को भूतल पर फ्लैटों आबंटित करने का प्रयास किया जाएगा।
- iii. दिव्यांग व्यक्तियों को दिविप्रा फ्लैटों का आवंटन किराया खरीद आधार पर किया जाएगा। किराया खरीद आवंटन के मामले में आरंभिक भुगतान कुल लागत का 25 प्रतिशत होगा। शेष राशि 15 वर्षों की अवधि तक मासिक किश्तों में ली जाएगी।
- iv. कीमत में 5 प्रतिशत की रियायत अधिकतम 1.00 लाख रु. की सीमा तक की शर्त के अधीन दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाएगी, जिन्हें उपर्युक्त कोटे के अंतर्गत फ्लैट का आवंटन किया गया हो। आवंटन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। हस्तांतरण विलेख संबंधी कागजात केवल मूल आबंटिती के नाम पर निष्पादित किए जाएंगे।
- v. यह सुनिश्चित करने के लिए कि रियायती प्रावधान केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं, और इनका दुरुपयोग या गलत तरीके से लाभ पाने के लिए प्रयोग न किया जाए, यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त फ्लैटों के आवंटन पत्र में विशिष्ट रूप से यह बताया जाएगा कि आबंटिती द्वारा कब्जा लेने के 15 वर्ष से पूर्व फ्लैट के कब्जे के हस्तांतरण पर फ्लैट को



स्वतः रद कर दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के रद्दकरण को वापिस नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के सभी मामलों के लिए हस्तांतरण विलेख में निम्नलिखित विशिष्ट खंड भी शामिल होगा जो आवंटन पत्र में शामिल किया जाएगा। और आबंटिती को फ्लैट का कब्जा सौंपे जाने से पहले हस्तांतरण विलेख का भाग होने के कारण शपथ पत्र के माध्यम से इस संबंध में विशेष रूप से सहमत देनी होगी।

**प्रस्तावित खंड निम्नानुसार होगा:** “कि आबंटिती / क्रेता विशिष्ट रूप से इस बात पर सहमत है कि वह विक्रेता द्वारा आबंटिती / क्रेता को कब्जा सौंपे जाने की वास्तविक तिथि से 15 वर्ष समाप्त होने के पहले किसी समय पूरे फ्लैट अथवा इसके किसी भाग के स्वामित्व का विभाजन नहीं करेगा और उस सीमित सीमा तक संपत्ति का हक (टाइटल) विक्रेता के पास ही समझा जाएगा। इस पर पुनः विशिष्ट रूप से सहमति दी जाती है कि यदि आबंटिती / क्रेता वर्तमान हस्तांतरण विलेख की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो संपूर्ण हस्तांतरण विलेख को शून्य माना जाएगा और ऐसी स्थिति में विक्रेता आबंटिती / क्रेता से हस्तांतरित संपत्ति का कब्जा वापस पाने का हकदार होगा।”

यदि आबंटिती / क्रेता की मृत्यु 15 वर्ष की बताई गई अवधि समाप्त होने के पहले हो जाती है तो उसके कानूनी प्रतिनिधि और वारिस उक्त शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे, लेकिन वे उक्त फ्लैट का अधिभोग करने के हकदार होंगे।

- vi. रियायत उन व्यक्तियों पर लागू होगी, जो निश्चित व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2016 में परिभाषित दिव्यांगता के अर्थ में आते हैं और शिक्षा बोर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित है।
- vii. इस खंड के अंतर्गत अनुमेय लाभ केवल उन आवेदकों को दिया जाएगा जिनको 5% आरक्षित कोटे के अंतर्गत फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं। यदि फ्लैट सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवंटित किया जाता है, तो उनको उक्त लाभ किसी भी मामले या किसी भी तरीके से चाहे जो भी हो, नहीं दिया जाएगा और न वे इन लाभों के लिए दावा करेंगे और न ही दि.वि.प्रा. इस संबंध में किसी अनुरोध पर विचार करेगा।

### 23. अन्य सामान्य शर्तें:-

- क. दिल्ली विकास प्राधिकरण को, जब भी वह आवश्यक समझे, अपने विवेक से योजना की विवरणिका के किसी भी निबंधन एवं शर्तों/खंड में परिवर्तन करने का अधिकार है।
- ख. दि.वि.प्रा. को योजना में प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार होगा। दि.वि.प्रा. को परिस्थितियों के अनुसार कुछ फ्लैटों/सभी फ्लैटों को वापस लेने का अधिकार भी होगा।
- ग. इस योजना के अंतर्गत आबंटन इस विवरणिका, मांग एवं आबंटन पत्र और दि.वि.प्रा. (आवासीय संपदा का प्रबंधन एवं निपटान) विनियम, 1968 में निहित निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत किया जाएगा।
- घ. दि.वि.प्रा. (आवासीय संपदा का प्रबंधन एवं निपटान) विनियम, 1968 की विनियम सं. 17 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी दरें, शुल्क, कर, प्रभार, म्यूनिसिपल करों का निर्धारण और अन्य प्रकार की उगाहियां, किसी भी प्रकृति की हों, आबंटिती अथवा पंजीकृत एजेंसी/अपार्टमेंट स्वामियों की एसोसिएशन, जैसा भी मामला हो, को वहन करनी होंगी और इस संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर आबंटिती अथवा अपार्टमेंट स्वामियों की एसोसिएशन/पंजीकृत एजेंसी द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा।
- ङ. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में मामले का निपटारा केवल दिल्ली/नई दिल्ली न्यायालय में ही होगा।
- च. आबंटन इत्यादि के संबंध में दि.वि.प्रा. के साथ सभी पत्राचार में आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे अपने पत्र में आवेदन फार्म सं., फाइल सं. आदि

लिखें और ऐसे पत्र संबंधित उप-निदेशक, डी-ब्लॉक, विकास सदन, दि.वि.प्रा. नई दिल्ली-110023 को लिखें।

- छ. यदि कोई शिकायत है, तो आवेदक सार्वजनिक सुनवाई के दिन निदेशक (आवास)-I/निदेशक (आवास)-II, आयुक्त (आवास) अथवा उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. से संपर्क कर सकते हैं। तथापि, वित्तीय मामलों के संबंध में आवेदक को सलाह दी जाती है कि सर्वप्रथम वे वित्त सलाहकार (आवास), डी-ब्लॉक, प्रथम तल, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 से सम्पर्क करें।
- ज. आवेदन की स्वीकृति के समय आवेदक की पात्रता की जांच करना संभव नहीं है। अपने हित में आवेदकों को आवेदन जमा करने से पहले सावधानीपूर्वक पूरी तरह से पात्रता शर्तों को पढ़ लेना चाहिए। यदि बाद के चरण में यह पता चलता है कि वे योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं, तो जो आवेदक पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं, वे फ्लैटों के आबंटन के हकदार नहीं होंगे।
- झ. आबंटिती को भुगतान का स्रोत बताना होगा। इसके लिए बैंक पासबुक की प्रति, बैंक विवरण और यदि ऋण लिया गया है, तो ऋण दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- ञ. आबंटिती को एक विधिवत अनुप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने आवेदन-पत्र/उसे आबंटित फ्लैट के संबंध में कोई सामान्य/विशेष मुख्तारनामा (जनरल/स्पेशल पॉवर ऑफ अटॉर्नी) विक्रय करार, बयाना रसीद या अन्य कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया है।
- ट. आवेदक द्वारा फ्लैट के आबंटन के लिए आवेदन-पत्र में दी गई सूचना/दस्तावेज के आधार पर मांग एवं आबंटन-पत्र जारी किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा दिये गए दस्तावेज/जानकारी गलत/झूठी/असत्य हैं, तो आबंटन बिना किसी सूचना के स्वतः ही रद्द हो जाएगा और ऐसे मामलों में आवेदकों के दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन राशि सहित पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।

- भाषा में विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।



Details of Flats, Tentative Cost And Locality Codes					
S.No.	Locality	Locality Code	No. of Flats#	Approx. Range of Plinth Area** of flat ^ (in Sqm.)	Broad Range of Tentative Disposal Cost (Rs. In Lakh)
<b>3 BHK/ HIG</b>					
1	Jasola, Pocket - 9B*	11	215	162.41 to 177.26	197 to 214
2	Vasant Kunj Block F, Cluster 1 and Block A, Cluster 4*	12	13	110.86 to 115.15	143.06 to 172.58
3	Rohini, Sector 29, Pocket GH-IV***	13	8	151.73 to 156.61	99.99 to 103.21
4	Dwarka, Sector 18B***	14	6	134.16 to 140.09	117.84 to 123.05
5	Nasirpur, Dwarka( 1 Flat) & Paschim Vihar (7 Flats)***	15	8	88.96 to 99.36	69.62 to 73.41
6	Jasola Sector 8***	16	2	106.05 to 126.36	98.97 to 118
<b>2 BHK/ HIG</b>					
7	Vasant Kunj Sector B, Pkt 2	21	1	88.94 to 101.69	97.23 to 117.05
8	Vasant Kunj Block F, Cluster 1 and Block A, Cluster 4	22	1	87.98 to 108.98	115.18 to 140.72
<b>2 BHK/ MIG</b>					
9	Dwarka Sector 19 B, Pkt. 3*	31	352	119.66 to 129.98	114 to 124
10	Dwarka Sector 16 B, Pkt. II*	32	348	121.35 to 132.77	116 to 127
11	Vasant Kunj Block B to E, Cluster 2, 3, 5 & 6*	33	3	78.01 to 93.61	66.22 to 85.24
12	Rohini, Sector 23, Pkt 6, 7***	34	40	80.11 to 89.35	58.65 to 66.07
13	Dwarka Sector 1, 3, 12, 19***	35	11	75.48 to 110.44	59.10 to 86.62
14	Jahangirpuri(2 Flats), Madipur (1 Flat)***	36	3	64.04 to 99.73	40.64 to 57.22
<b>LIG</b>					
15	Dwarka, Sector 23 B, Pkt 8***	41	25	33.29 to 33.85	22.32 to 22.7
16	Rohini Sector 20, 21, 22, 28, 29***	42	23	46.53 to 47.44	21.42 to 35.5
17	Narela Sector A-9, B-2***	43	3	41.99 to 46.94	17.54 to 18.22
18	Kondli Gharoli***	44	1	48.52	25.20
<b>EWS / JANTA</b>					
19	Manglapuri, Dwarka (EWS)*	51	276	50.74 to 52.50	28.51 to 29.50
20	Narela, Sector A-5 & A-6 (JANTA)***	52	15	26.54 to 28.19	7.55 to 8.14
	<b>TOTAL</b>		<b>1354</b>		

^ - Size of the flat varies from flat to flat. The demand letter will be issued as per actual size of the individual flat.

\*-The Standard/Typical unit plan of Housing in respect of these localities are annexed at Annexure-G

\*\* - Plinth Area includes common area.

#- Number of flats may change at the time of draw and number of flats at particular Locality/Zone may be changed subject to availability.

\*\*\*- These Flats are from old inventory

Note :

- 1) The Demand cum allotment letter will be issued three months prior to likely date of handing over of physical possession of flat after all the clearances.
- 2) The Registration of current housing project is under process with RERA.



LIST OF EMPANELLED BANKS WITH THEIR NODAL BRANCHES		
Sr. No.	Name of Bank, Saving Bank A/c No. & IFSC Code	Nodal Officer/ Branch Web address of Bank
1	STATE BANK OF INDIA	C-Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi-11023 www.onlinesbi.com Shri Aditya Gupta, Cont. No. 9911096110
2	CENTRAL BANK OF INDIA	C-Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023 <b>www.centralbankofindia.com</b> Shri Rajesh Jha, Cont. No. 9717463425
3	IDBI	Surya Kiran Building, K.G. Marg, Connaught Place, New Delhi-110001 <b>www.idbi.com</b> Shri Parveen Kumar Bagri, Cont. No. 011-66083420/21
4	HDFC BANK	B-6/3, DDA, Commercial Complex, Safdarjung Enclave, Opp. Deer Park, New Delhi-110029 <b>www.hdfcbank.com</b> Shri Arun Kumar Chaudhary Cont. No 9313207978
5	AXIS BANK	Eros Corporate Tower, Ground Floor, Nehru Place, New Delhi-110019 <b>www.axisbank.com</b> Shri Rajive Das Gupta Cont. No. 9582800492, 7838017364
6	ICICI BANK	S-26,27,28, VeeraTowers, Ground Floor, Green Park Extension, New Delhi-110016 <b>www.icicibank.com</b> Ms. Charu Joshi, Cont. 9599684927
7	YES BANK	Retail Block, Upper Ground Floor, DLF Cyber City, Tower 8 C, Gurgaon-122002 <b>www.yesbank.in</b> Cont. No. 0124-4619226
8	KOTAK MAHINDRA BANK	A-1/24, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 <b>www.kotak.com</b> Smt. Neha Vohra, Cont. No. 9582218058
9	INDUSIND BANK	Indusind Bank Ltd., Ground Floor, Plot No.12, Jor Bagh Market, New Delhi-110003 <b>www.indusind.com</b> 1. Shri Dhiraj Sharma, Cont. No.8826200440 2. Shri Puneet Bhatia, Cont. No. 7838786807
10	IDFC FIRST BANK	IDFC First Bank Ltd. Soodh & Birla Towers, 4th Floor, East Tower & LGF, West Tower, Barakhamba Road, New Delhi-110001 www.idfcbank.com 1. Shri Pushkal Dhar Dwivedi Cont. No. 9899931383 2. Shri Maheshwari Nandan, Cont. No. 9990010565

\* Housing Loan can be availed from the above listed empanelled banks and the same will also be eligible for CLSS subsidy under PMAY Scheme



ANNEXURE-C

AFFIDAVIT

(NOTE: This affidavit should be on a non-judicial stamp paper/e-stamp paper of Rs. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

Affidavit of Sh. /Smt. \_\_\_\_\_ s/o/d/o/w/oShri \_\_\_\_\_ r/o \_\_\_\_\_ solemnly affirm and state as under:

- 1. I am a citizen of India.
2. I or my wife/husband or any of my dependent relations, including unmarried children does not own in full or in part on free hold or lease hold basis a residential plot having area exceeding 67 sqm or flat/built up house having carpet area exceeding 67 sqm in the urban area of Delhi, New Delhi and Delhi Cantonment.
3. I am applying for allotment of only one dwelling unit.
4. I have attained the age of majority at the time of applying under DDA Housing Scheme- 2021. My Date of Birth is \_\_\_\_\_
5. That the joint applicant under the Scheme is my \_\_\_\_\_ (relationship), as per provision of Clause 2(xi) of the Scheme Brochure.
6. That my wife /husband has also applied for allotment of a flat under the DDA Housing Scheme - 2021 vide Application No.\_\_\_\_\_, She /He was declared successful. He/She has surrendered the said flat on \_\_\_\_\_or she/he has not been declared successful. (Strike out which is not applicable).
7. I have not sold, transferred, assigned or parted with the possession of the whole or any part of the residence at No. \_\_\_\_\_ allotted to me against my Application No. \_\_\_\_\_ in the draw held on \_\_\_\_\_ by the DDA. That I have not executed any Sale Agreement, Power of Attorney or Agreement to Sale in favour of anybody.
8. That, I, \_\_\_\_\_ S/o D/o W/o Shri \_\_\_\_\_ r/o \_\_\_\_\_ applied for allotment of EWS/LIG/MIG/HIG flats under DDA Housing Scheme - vide Application No. \_\_\_\_\_ and that I have been allotted a flat No. \_\_\_\_\_, Pkt. \_\_\_\_\_ Sec. \_\_\_\_\_, Locality \_\_\_\_\_ vide allotment letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_. That I am entitled for possession of the flat.
9. That Smt. \_\_\_\_\_ d/o Shri \_\_\_\_\_ is my legally wedded wife.
10. I have read, understood and before filling the Application Form I have accepted all the terms and conditions of the Brochure of Housing Scheme- 2021.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, \_\_\_\_\_, do hereby verify that the facts mentioned in Paras 1 to 10 above are correct to the best of my knowledge and belief and nothing is false therein and nothing material has been concealed.

DEPONENT

Place .....

Date .....

ANNEXURE-D

AFFIDAVIT FROM SPOUSE (HUSBAND/WIFE)

(NOTE: This affidavit should be on a non-judicial stamp paper/e-stamp paper of Rs. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/ Notary Public and extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

Affidavit of Sh./Smt. \_\_\_\_\_ S/o/W/oShri/Smt. \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_

I aforesaid solemnly affirm and declare as under:

- 1. That Shri/Smt. \_\_\_\_\_ S/o/W/o \_\_\_\_\_ is my legally wedded husband/Wife.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, \_\_\_\_\_, solemnly affirm and say that facts mentioned in Para 1 above is correct to the best of my knowledge and nothing is false therein and no material has been concealed.

DEPONENT

Place .....

Date .....



## UNDERTAKING

(NOTE: This undertaking should be on a non-judicial stamp paper/e-stamp paper of Rs. 10/- shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.)

WHEREAS, I, \_\_\_\_\_ S/o/D/o/W/o Shri \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ on an application made to the Delhi Development Authority under the Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968 (hereinafter called the said Regulation) have been allotted a \_\_\_\_\_ (hereinafter called the flat.

AND WHEREAS under the said Regulation, it is obligatory on my part to form a registered agency with the Vice-Chairman, DDA for the management and administration of the common portions and common services attached to the flats, execute the conveyance deed for the flat and joint lease deed for the land, under the appurtenant to the flats before the possession of the flat is handed over to me.

AND WHEREAS I in my own interest have applied to Delhi Development Authority for the possession of the flat allotted for immediate occupation, before the completion of the various formalities required to be performed by me under the said regulations and execution and Application of the documents provided in the Regulations.

I, \_\_\_\_\_ S/o/D/o/W/o Shri \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_ on an application made to the Delhi Possession of the flat allotted being given to me earlier, I shall abide by all the terms and conditions that are set forth in the DDA (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968, including the documents containing therein, or may be set forth in the Conveyance Deed for the flat and the joint lease deed for the land under the appurtenant to the flats by the Delhi Development Authority and shall sign and execute the same with the Delhi Development Authority and get the same registered at my own cost and expenses in the manner prescribed under the said Regulations within 90 days from the date of handing over the possession of the flat or such extended period as may be permitted by the Vice Chairman of Delhi Development Authority from time to time and that during the said period of 90 days of such extended period as may be permitted, I shall be responsible for looking after the maintenance of the common service attached to the flat allotted.

I, further undertake that we shall constitute and become, a member of the Registered Agency prescribed under the said Regulation and abide by the constitution, a model form of which I have read and understood.

I, also undertake not to make any addition and alteration in the dwelling unit allotted to me without obtaining prior and written permission from the DDA. It will be open to DDA to cancel the allotment and resume the possession of the dwelling unit, if I fail to fulfill the undertaking given herein.

Signed by me \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ Two Thousand Nineteen.

In the presence of witnesses:-

- 1.
- 2.

**ALLOTTEE**



(NOTE: Should be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public/Gazetted officer)

Specimen signature and photograph of Shri/Smt./Km. \_\_\_\_\_ S/o/W/o/D/o \_\_\_\_\_

R/o \_\_\_\_\_ and

Smt./Shri/Km. \_\_\_\_\_ S/o/W/o/D/o \_\_\_\_\_

Specimen Signature of Shri		Photograph of Shri
1		
2		
3		

Specimen Signature of Smt./Km.		Photograph of Smt./Km.
1		
2		
3		





TYPICAL UNIT PLAN LAYOUT OF HIG FLATS AT JASOLA POCKET 9B



CLUSTER PLAN



TYPICAL UNIT PLAN LAYOUT OF EWS FLATS AT MANGLAPURI, DWARKA



PROJECT: INTEGRATED COMPLEX OF MULTISTORIED EWS HOUSING WITH FACILITY BUILDING BEHIND DDA PROJECT OFFICE AT MANGLAPURI (SITE NO.IV)

TYPICAL UNIT DETAIL

DEWA DEVELOPMENT AUTHORITY  
Architect: Bhatt Builders (P) Ltd.  
Scale: 1/100  
Date: 10/11/2020



PROJECT: INTEGRATED COMPLEX OF MULTISTORIED EWS HOUSING WITH FACILITY BUILDING BEHIND DDA PROJECT OFFICE AT MANGLAPURI (SITE NO.IV)

SITE PLAN

DEWA DEVELOPMENT AUTHORITY  
Architect: Bhatt Builders (P) Ltd.  
Scale: 1/100  
Date: 10/11/2020




TYPICAL UNIT PLAN LAYOUT OF MIG FLATS AT SECTOR 19B, DWARKA



TYPICAL UNIT PLAN LAYOUT OF MIG FLATS AT SECTOR 16B, POCKET-2, DWARKA


348 Multi Story MIG Houses at Sector-16B, Pocket-2, Dwarka Phase-II (Near Sector-14 Metro Station Dwarka)

Sample Flat No. 7






TYPICAL UNIT PLAN OF HIG (3 BHK) FLATS AT VASANT KUNJ



TYPICAL UNIT PLAN OF MIG (2 BHK) FLATS AT VASANT KUNJ





# फ्री होल्ड पर फ्लैट

सम्पर्क:

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

कमरा नं: 214, द्वितीय तल, डी-ब्लॉक,  
विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली-110023  
वेबसाईट: [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in)  
हेल्प लाईन नं.: 1800110332